रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D.

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 260] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 31, 1973/कार्तिक 9, 1895
No. 260] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 31, 1973/KARTIKA 9, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Central Secretariat Library

## MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

NOTIFICATION

*New Delhi, the 31st October 1973*

**G.S.R. 480(E)**.—In exercise of the powers conferred by section 34, read with sub-section (2) of section 8, of the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 (36 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Coking Coal Mines (Intimation regarding Mortgage, Charge, Lien or Other interests) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 (36 of 1972);

(b) "section" means a section of the Act.

3. **Time limit for intimation.**—Every mortgagee of any property, which has vested under the Act in the Central Government or in a Government Company, and every person holding any charge, lien or other interest in or in relation to any such property, shall give intimation of such mortgage, charge, lien or other interest to the Commissioner within a period of thirty days from the date which may be specified by the Central Government under sub-section (1) of section 23:

Provided that if the Commissioner is satisfied that the mortgagee or the person holding any charge, lien, or other interest was prevented by sufficient cause from

giving the intimation within the said period of thirty days, he may, on the expiry of the said period of thirty days, entertain any such intimation within a further period of thirty days, but not thereafter.

4. **Manner of intimation.**—(1) Every intimation of a mortgage, charge, lien or other interest claiming payment in relation to a coking coal mine or a coke oven plant specified in the First Schedule or the Second Schedule, as the case may be, to the Act, shall be in writing, addressed to the Commissioner, and shall contain the following particulars, namely:—

(a) Name, description and full address of the mortgagee/charge, lien or other interest holder;

(b) name, description and full address of the coking coal mine/coke oven plant;

(c) name and address of the owner/owners of the coking coal mine/coke oven plant;

(d) amount of claim (in Indian currency);

(e) particulars of the instrument, if any, by which the mortgage, charge, lien or other interest is secured, supported by an attested copy of the instrument;

(f) amount, if any already received with particulars;

(g) any other particulars relevant to the claim;

(h) relief claimed.

(2) Every intimation shall be duly signed and verified by the mortgage, or the person holding the charge, lien or other interest or a duly authorised agent:

Provided that if the intimation is from a body corporate or a firm, it shall be signed and verified by a person duly authorised by the body corporate or the firm, as the case may be, in this behalf.

(3) Intimations may be filed in the office of the Commissioner at Dhanbad on all working days during office hours or may be sent to the Commissioner by registered post, with acknowledgement due.

[No. 20/37/72-CI/CC.]

C. B. RAU, Director

## इस्पात और खान मंत्रालय

### (इस्पात विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1973

सा० का० नि० 480(अ).—कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 36) की, धारा 8 की उपधारा (2) के साथ पठित, धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम कोककारी कोयला खान (बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्यहितों संबंधी सूचना) नियम, 1973 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 36) अभिप्रेत है ;

(ख) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

3. **सूचना के लिए समय की परिसीमा**.—ऐसी सम्पत्ति का जो केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी में इस अधिनियम के अधीन निहित हो गई है, प्रत्येक बन्धकदार और ऐसी सम्पत्ति में या उसके सम्बन्ध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उस तारीख से तीस दिन की कालावधि के अन्दर जो धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित की सूचना आयुक्त को देगा :

परन्तु यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि बन्धकदार या कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला व्यक्ति पर्याप्त कारणवश तीस दिन की उक्त कालावधि के अन्दर सूचना देने से निवारित किया गया था तो, वह तीस दिन की उक्त कालावधि के समाप्त हो जाने पर तीस दिन की अतिरिक्त कालावधि के अन्दर कोई ऐसी सूचना ग्रहण कर सकता है, किन्तु इसके पश्चात् नहीं ।

4. **सूचना की रीति** .—(1) किसी बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित की प्रत्येक सूचना जिस में इस अधिनियम की, यथास्थिति, प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी कोककारी कोयला खान या कोक भट्टी संयंत्र के सम्बन्ध में संदाय के लिए दावा किया जाए, लिखित में होगी और आयुक्त को सम्बोधित की जाएगी और उस में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात् :—

(क) बन्धकदार / भार, धारणाधिकार या अन्य हित के धारक का नाम, वर्णन और पूरा पता;

(ख) कोककारी कोयला खान / कोक भट्ठी संयंत्र का नाम, वर्णन और पूरा पता ;

(ग) कोककारी कोयला खान / कोक भट्ठी संयंत्र के स्वामी / स्वामियों के नाम और पते;

(घ) दावे की रकम (भारतीय करेंसी में) ;

(ङ) ऐसे लिखित की विशिष्टियां, यदि कोई हों, जिसके द्वारा बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित प्रतिभूत किया गया है, उनके साथ लिखित की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि भी भेजी जाए ;

(च) पहले प्राप्त की गई रकम, यदि कोई हो, और उसकी विशिष्टियां ;

(छ) दावे से सुसंगत कोई अन्य विशिष्टियां ;

(ज) दावाकृत अनुतोष ।

(2) प्रत्येक सूचना बन्धकदार या भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाले व्यक्ति या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएगी :

परन्तु यदि सूचना किसी निगमित निकाय या फर्म द्वारा दी जाए तो वह, यथास्थिति, निगमित निकाय या फर्म द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएगी।

(3) सूचनाएं अहमदाबाद स्थित आयुक्त के कार्यालय में सभी-कार्य-दिवसों पर कार्यालय समय के दौरान फाइल की जा सकेंगी या रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा आयुक्त को भेजी जा सकेंगी।

[सं० 20/3/72-टी० आई०/(सी०सी०)]

सी० बी० राव/निदेशक।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973